अध्याय 2

धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार

क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग-अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हों। इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है, तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी।

भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाईशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं।

अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम् रहा होगा।

आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि कई देशों में समय-समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार व दंगे हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अँग्रेज़ों की नीतियों की वजह से हिन्दू व मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नज़र आया।

जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना-अपना धर्म मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आज़ादी दी जाए।

Developed by: ABSOL www.absol.in

क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार–प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना गया।

धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता

भारत में विश्व के आठ प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी।

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हों और उसी धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी।

कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस धर्म के रीति–रिवाज़ों का विरोध करते हुए व उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं।

इसके अलावा यह भी ज़रूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को

1. भारत में मुख्य तौर पर किन–किन धर्मों के लोग रहते हैं?
2. भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म सम्बंधित क्या चुनौतियां थीं?
3. भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं?

महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रख कर नहीं बनायेगी।

इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था।

धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी–अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर–तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जायेंगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है व उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिये – हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, ज़िला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिह्न जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाये जायेंगे, जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हों और उस धर्म के प्रचार–प्रसार में सहायक हों।

हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आम तौर पर हमारे

1. एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइये।
2. एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइये।
3. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं?

यहां यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता पर सिख धर्म के मानने वालों को इस नियम में रियायत दी गई हैं। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपाण रख सकते हैं क्योंकि कृपाण रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को माननेवालों को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गयी है। जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता।

अब सोचने वाली बात यह है, कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति–रिवाज़ या प्रथाएं हो सकती हैं जो अमानवीय हों? तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हालात में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे व किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफी न हो।

अधिकांश धर्म एक ही सम्प्रदाय वाले नहीं होते बल्कि वह कई सम्प्रदायों में बंटे हुए होते हैं, जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो कि अन्य धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइये इसको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़ें।

सरोज, हिरामणी नाम के देश में रहती हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग दो करोड़ है। वैसे तो यहां पर चार अलग–अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परीमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने–अपने भगवान और अपनी–अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं लेकिन परीमल धर्म के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबन्दियां लगा रखी हैं।

सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परीमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो जो आज़ादी व छूट परीमल धर्म के लोगों को मिली हुई है, वह उसके व हिरामणी में अन्य धर्मों को

मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, "माँ हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है, जहाँ जा कर हम पूजा कर सकते हैं।"

इस पर सरोज की माँ ने समझाया, "हमारे देश के संविधान में परीमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया है व इस हेतु उन्हें खास हिदायतें दी गई हैं।"

"जैसे, परीमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा-पाठ कर सकते हैं लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर, अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते।"

"इसके अलावा, हिरामणी में सरकारी छुट्टियां केवल परीमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई हैं, जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा, कि वहाँ पर उन्हीं के देवी-देवताओं की तस्वीरें लगी हुई है। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पताल व कोर्ट कचहरी में भी दी गई है।"

सरोज तुनक कर बोली, "यह बात तो बिलकुल गलत है माँ।"

"अरे बेटी, इसे छोड़, हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परीमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं।"

"तो माँ, क्यों न हम अपना धर्म छोड़ कर परीमल धर्म को अपना लें?"

"नहीं हमें इसकी इजाज़त नहीं है।"

"तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परीमल से कम है?"

"नहीं ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग-अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता।"

"तो माँ क्या परीमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है?"

"हाँ, सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी, उनमें परीमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही। इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा।"

भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय

धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के सम्बंधों पर चर्चा करने से पहले यह जानना ज़रूरी है, कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे? भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशें की गई हैं।

मौलिक अधिकार : मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं।

उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता।

इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बाँटा गया हैं जिन्हें नीचे दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार –

1. समता का अधिकार – कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार

के मामले में, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है।

1. समता के मौलिक अधिकार में समता के किन–किन बिन्दुओं को शामिल किया गया हैं?

2. आप नीचे लिखी बातों में से कौन–कौन सी बातों को समता के अधिकार का ह = I = I मानेंगे? चर्चा कीजिए।

   क. आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं।

   ख. कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है?

   ग. कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जायेगा या मारा–पीटा जायेगा।

3. मज़दूरों के संगठन क्यों बनाये जाते हैं?

4. लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?

5. लोग बंधुआ मज़दूर क्यों बनते हैं?

6. किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून

मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश

भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह–तरह के उपाय किये गये हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व खासतौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने में सहायक हुए हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार – इस अधिकार के अन्तर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने–जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार – संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पर रखना अपराध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार–प्रसार करने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार – संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने–अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार – यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लघंन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है।

समता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:

समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गयी है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाये जायेंगे जो

1. संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? कारण सहित समझाइये।
2. समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइये जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है।

पर आधारित न हों।

समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों में समान अवसर देने की कही गयी है जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदियों से दबाई जा रही जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल सम्बंधित वर्गों के लोगों की ही नियुक्ति की जायेगी।

संविधान में इस मौलिक अधिकार के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि

1. नीचे लिखी तालिका को शिक्षक/शिक्षिका की सहायता से पूरा करें:

धर्मनिरपेक्षता के बिन्दु	धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिन्दु

Developed by: ABSOL www.absol.in

सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जायेगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार–प्रसार को दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।

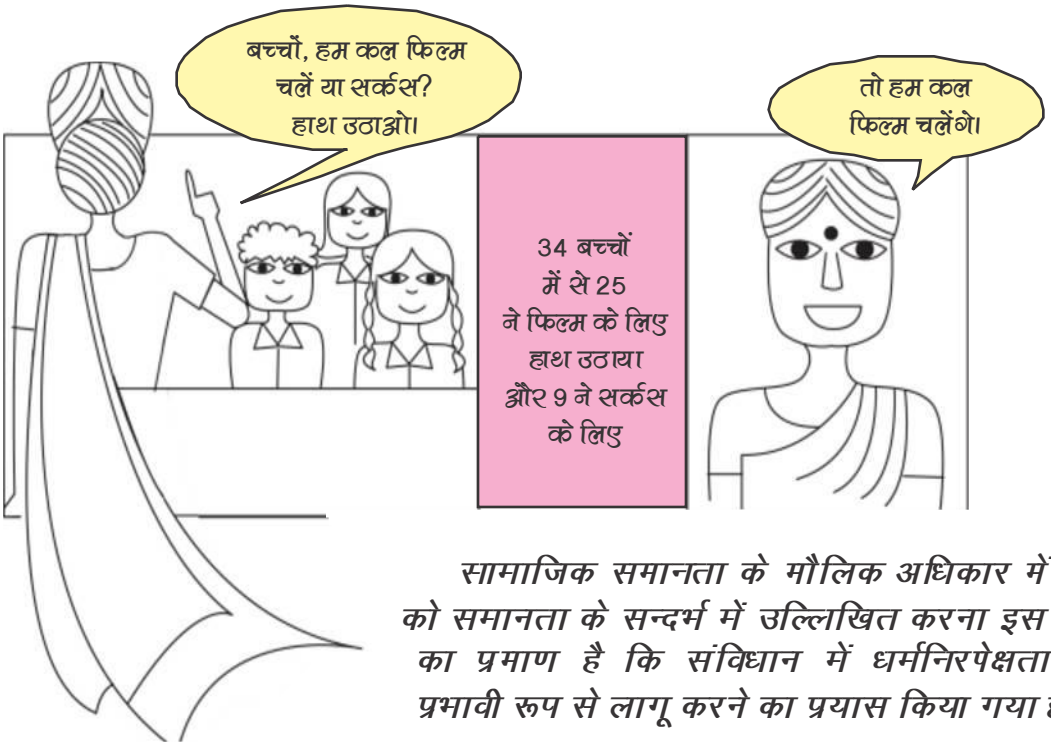

सामाजिक समानता के मौलिक अधिकार में धर्म को समानता के सन्दर्भ में उल्लिखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता:

धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है। उसे किसी धर्म को मानने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी धर्म को माने या न माने।

धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य अनुदान प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों आदि में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा

1. अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कौन-कौन से अधिकार दिये गये हैं।
2. अल्पसंख्यकों को दिये गये संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मज़बूत होगी? उदाहरण देकर समझाइये।

सकती। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देती है न किसी धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकती है।

अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा सम्बंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता

नीचे दिए गए चित्र में आपने देखा कि शिक्षिका ने बहुमत के अनुसार निर्णय लिया। क्या यह सही था? हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मत के आधार पर निर्णय लिया जाए।

लेकिन इसके साथ-साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी न हो बल्कि संविधान के तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए है। जैसे, कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है।

आम तौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि किन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाएगा। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं। उदाहरण के लिए, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जायेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जायेंगे।

अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए यदि

कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।

अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है।

जैसा कि हमने अध्याय के शुरू में पढ़ा कि भारत में धर्मों के साथ-साथ भाषाई विविधताएं भी पायी जाती हैं। ज़्यादातर भाषाएँ ऐसी हैं जो कम संख्यावाले लोगों द्वारा बोली जाती हैं। अधिकतर भाषाओं का सम्बंध कम संख्या वाले धर्मों को मानने वालों से भी है। इसलिए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लागू करने व मज़बूत करने में बहुत सहायक हुए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषाओं को सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उनकी धार्मिक

अभ्यास के प्रश्न

1. भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइये?
2. धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन-कौन सी बातें शामिल हैं?
3. आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन-से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों?
4. अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का ज़रूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइये।

5. नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये –

कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गाँव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज़ करवाना चाहती थीं और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाज़त चाहती थीं। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उनको ज़रूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया।

प्रश्न

1. थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिये।
2. गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना

Developed by: ABSOL www.absol.in